स्थिति के अनुसार, चालू वर्ष में कुल 88.17 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख तक 82.29 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था ; इस प्रकार इसमें 5.88 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) चीनी बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों के कारण जून, 1988 के प्रारम्भ से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है । पर्याप्त स्टाक होने से सरकार ने जुलाई, 1988 मास के लिए मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा बढ़ा कर 5 लाख मीटरी टन कर दिया है जबकि जून, 1988 मास के लिए 4.40 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई थी । अगस्त, 1988 मास के लिए देशी भाग में से 5 लाख मीटरी टन चीनी मुक्त बिक्री के कोटे के रूप में देने की घोषणा की गई है । इसके अलावा नियंत्रित माध्यमों से वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आयातित चीनी भी निर्मुक्त की जाएगी । राज्य सरकारों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चीनी के थोक लाइसेंस शुदा व्यापारियों द्वारा स्टाक के कारोबार के लिए स्टाक रखने की सीमा और समय-सीमा से संबंधित सांविधिक उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें । सरकार भी चीनी फैक्टरियों द्वारा निर्मुक्त की गई मात्रा की बिक्री और प्रेषण से संबंधित सांविधिक उपबन्धों को कड़ाई के साथ लागू करना सुनिश्चित करेगी ।

वनस्पति घी का मूल्य

454. श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून-जुलाई, 1988 के दौरान वनस्पति, देश के विभिन्न भागों में पारस्परिक मूल्य नियंत्रण योजना के अंतर्गत निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था ?

(ख) यदि हां, तो इन महीनों में महानगरों में 15 किलो के वनस्पति घी के कनस्तर का थोक बाजार भाव कितना रहा ;

(ग) क्या सरकार ने वनस्पति उत्पादकों से इस बारे में बातचीत की; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एन० बैठा) : कुछ केन्द्रों में जून-जुलाई, 1988 के दौरान वनस्पति के मूल्य अधिक होने की खबरें समाचार-पत्रों में छपी हैं ?

(ख) महानगरों में वनस्पति के 15 कि० ग्रा० के टीन के उपभोक्ता मूल्य (मध्य मूल्य) इस प्रकार है :—

	दिल्ली	मद्रास	कलकत्ता	बम्बई
जून, 1988				
पहली तारीख	346.00	360.00	377.50	361.80
15 तारीख	349.50	359.00	387.50	361.80
जुलाई, 1988				
पहली तारीख	367.00	360.00	389.50	367.20
15 तारीख	358.00	360.00	381.00	369.50

(ग) और (घ) जी हां। वनस्पति विनिर्माताओं तथा उनकी एसोसिएशनो पर इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वे मौजूदा स्वैच्छिक मूल्य करार का पालन करें और यह भी सलाह दी गई है कि इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए वे एक उपयुक्त परिवीक्षा तंत्र बनाएं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे वनस्पति की उपलब्धता तथा उसके मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखें तथा अधिक मूल्य लिए जाने के मामलों में उचित निवारक कार्यवाही करेंगे।

Crop Insurance Scheme for farmers

455. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large amounts of dues remain unpaid to the farmers under the Crop Insurance Scheme in different states and if so, what are the details thereof and reasons therefor;

(b) what action Government have taken to promptly honour this commitment, so as to keep the sustained faith of the farmers in the Crop Insurance Scheme;

(c) whether Government have received any representations from the farmers/or the Government of Gujarat in this regard and if so, what are the details thereof including the action taken by Government thereon; and

(d) what is the total amount of crop insurance paid during the last three years in the country, state-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) No, Sir. All lawful claims of crop insurance for 1985-86 and 1986-87 in the country have been cleared by the Government. Accordingly, the Government has already released its two-third share of these claims to the General Insurance Corporation of India. However, claims for 1987-88 season have not yet been cleared.

(c) Government has received representations from farmers organisations and the State of Gujarat for early settlement of the Kharif 1987 crop insurance claims. Action has since been taken to clear these claims promptly after proper scrutiny.

(d) A statement is enclosed. (*See* Appendix CXLVII, Annexure No. 19).

Allotment of rice to Kerala

456. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Kerala State Government have requested the Centre for a special allotment of rice for the Onam festival season; and also for an increase in the monthly quota of rice for public distribution system in the State; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) and (b) The Government of Kerala has been requesting for an increase in the monthly allocation of rice. However, it has not been found possible to accede to the request of the State Government, so far.

Insurance cover to second paddy crop in Kerala

457. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided not to give crop insurance cover to the second paddy crops (Kharif crops) in Kerala